

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
26/9/23	<p>वकुलाय 300) वकील आनी लेशोधित          शीफ्ट पेस वरि वल्ले पेस छो लेशोधित          शीफ्ट व वकिल इफ्तखारिओ की ललबी          छो पत्रावली दिनांक 7/11/23 को पेस हो</p> <p>7/11/23 पत्रावली पेस हुई। वकुलाय उप.।          P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त          होने से पत्रावली पूर्वादेशानुसार          दिनांक 18/11/23 को पेस हो।</p> <p>18/11/24 पत्रावली पेस ...          P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त है।          पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/3/24          को पेस हो।</p>
11/3/24	<p>वकुलाय इफ्तखारिओ वल्ले उमम पत्रावली          गमी वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक          22/3/24 को पेस हो।</p> <p>(राजवीर सिंह पादय)          सपखण्ड अधिवारी          पीमकाथाना (र. 6)</p>

170  
2016

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

गिरधारी लाल v/s तहसीलदार

की

पत्रावली उपस्थित। उक्त पत्र को सुना गया।  
 तहसीलदार, नीमकराना का डवलोकन किया  
 गया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, नीमकराना  
 दिनांक 13/5/2022 के अनुसार गिरधारी लाल  
 जमीन की खालेदारी भूमि जहां स्थित है, वहां  
 इसका कब्जा काश्त नहीं है। जंगल ~~के~~ पड़ोसी  
 खालेदारों की खालेदारी में कब्जा काश्त  
 करता है। कब्जे के अनुसार तहसीलदार  
 किया जाना उचित नहीं है तहसीलदार (अभिधारी)  
 द्वारा तहसील करने की स्पष्ट अधिशेष  
 नहीं की जाती है। रा. भू. अ. 1956 की धारा  
 136 के अन्तर्गत केवल लिपिकाना भूरे का  
 ही सुधार किया जा सकता है। जमीन का  
 प्रथम पत्र 136 CR Act 1956 का होना  
 प्रमाणित नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार  
 पर जमीन का प्रथम पत्र 136 CR Act  
 1956 सारहीन होने से एवं मुताबिक तहसीलदार  
 रिपोर्ट के आधार पर खालेदारी किया जाता  
 है। पत्रावली में लाल शुमार होम नम्बर के  
 कद होम दफ्तर दाखिल है।

गिरधारी लाल शुमार सुनाया गया।

*[Handwritten Signature]*